तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र रेफरेन्स / एलआर / 4075 / 2005 / अजमेर सरकार बनाम भोमा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सी.आर.मीणा, सदस्य

उपस्थित–

श्री आर.पी. मीणा, उपराजकीय अधिवक्ता, सरकार
श्री जी.एस.लखावत, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 03–02–2022

अप्रार्थी संख्या 7 ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 (2) सपठित आदेश 9 नियम 13 तथा धारा 151 सीपीसी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या 50/2001 बउनवानी सरकार बनाम भोमा में पारित निर्णय दिनांक 29–9–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

मूल रेफरेंस कार्यवाही में पारित निर्णय दिनांक 29–9–2003 के विरूद्ध अप्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल के समक्ष दिनांक 16–8–2005 को पेश किया है। तदनुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र विलम्ब से पेश किए जाने के क्रम में उक्त कारित विलम्ब को क्षमा करने बाबत अप्रार्थी ने भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय कारणों पेश किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष को सुना। प्रार्थना पत्र में वर्णित कारण सशक्त, सद्भावी तथा सत्य होने के कारण उन पर विश्वास किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुतीकरण में हुए विलम्ब को क्षमा किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र रेफरेन्स / एलआर / 4075 / 2005 / अजमेर सरकार बनाम भोमा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर प्रकरण को अंदर मियाद शुमार किया जाता है। हमने हस्तगत प्रार्थना पत्र की ग्राह्यता के बिन्दु के संबंध में उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा आक्षेपित आदेश तथा उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन एवं अध्ययन किया। आक्षेपित निर्णय एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ ने रेफरेंस प्रकरण संख्या 50/2001 बउनवानी सरकार बनाम भोमा में पारित एकतरफा निर्णय दिनांक 29-9-2003 के द्वारा आलोच्य रेफरेंस प्रकरण को स्वीकार करते हुए खाता संख्या 839 की विवादग्रस्त आराजी (रेफरेंस में अंकित आराजी) वापस माफी मंदिर श्रीरघुनाथजी महाराज साकिन खरवा के नाम दर्ज किए जाने की आज्ञा पारित की है। बहस के दौरान अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने मण्डल के समक्ष आलोच्य रेफरेंस की कार्यवाही में अप्रार्थीगण को विधि के प्रावधानों के तहत आवश्यक नोटिस जारी नहीं किए गए है। फलस्वरूप पूर्व में सम्पादित रेफरेंस की कार्यवाही में अप्रार्थीगण को सम्यक रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बगैर पारित आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का परीक्षण किया है। जिसके अनुसार स्पष्ट है कि मण्डल के समक्ष पूर्व में रेफरेंस की कार्यवाही में विचारण के दौरान अप्रार्थी परसा व छोटू पुत्रगण को नोटिस जारी किए गए है तथा शेष समस्त अप्रार्थीगण के साथ मांगीलाल पुत्र उमा को मण्डल द्वारा रेफरेंस की कार्यवाही में नोटिस जारी नहीं किया जाना पाया जाता है। अतः यह अवधारित होता है कि मूल रेफरेंस प्रकरण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र रेफरेन्स / एलआर / 4075 / 2005 / अजमेर सरकार बनाम भोमा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में मामले से जुडे समस्त पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि मण्डल की माननीय एकल पीठ द्वारा पूर्व में सम्पादित रेफरेंस की कार्यवाही में सभी अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना समीचीन है कि विभिन्न माननीय उच्चतर न्यायालयों ने महत्वपूर्ण निर्णयों में इस मत को पूर्णरूपेण परिभाषित किया है कि प्रकरण से जुडे समस्त पक्षकारान को पूर्ण रूप से सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करने के बाद पारित किया गया निर्णय ही श्रेष्ठकर होता है। उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में नैसर्गिक न्याय की दृष्टि से मूल रेफरेंस की कार्यवाही में समस्त अप्रार्थीगण को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ग्राह्यता के स्तर पर ही स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल की पूर्व माननीय एकल पीठ द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या रेफरेंस प्रकरण संख्या 50/2001 बउनवानी सरकार बनाम भोमा में पारित एकतरफा निर्णय दिनांक 29-9-2003 को निरस्त किया जाकर मूल रेफरेन्स प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक-एक प्रति मूल रेफरेन्स प्रकरण में संलग्न की जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सी.आर.मीणा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र रेफरेन्स / एलआर / 4075 / 2005 / अजमेर सरकार बनाम भोमा वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए